तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **कमलकिशोर बनाम लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 177/2023	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
28.08.23	अपीलार्थी कमलकिशोर पुत्र रूपचन्द गोयदानी भागीदार आगोलाई फिलिंग स्टेशन, आगोलाई, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 में (1) ग्राम आगोलाई में आगोलाई फिलिंग स्टेशन का लाईसेंस संख्या एस.यू.पी./पी.पी./91/67 का नवीनीकरण क्या भागीदारी फर्म से हुआ है, अगर नवीनीकरण भागीदारी फर्म से हुआ है तो किस आधार पर हुआ है (2) अन्य बिन्दू, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	